

## 10 वर्षीय मत्स्य पालन आवंटन की विज्ञप्ति

### प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील स्थाना के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों /पोखरों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा आवंटन शिविर का आयोजन उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पंजीकृत मछुवा समितियों /समुदाय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा हेतु इच्छुक व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2017 को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक तहसील सभागार में प्राप्त किये जायेगे। अपराह्न 2:00 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता- 2006 के अनुसार पट्टे की न्यूनतम दर 5000 रु0 प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से बोली तहसील सभागार में प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि व नियत समय पर उपस्थित होकर नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने हेतु दिनांक 21.07.2017 को उपस्थित हों। उपस्थित व्यक्तियों में से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। पट्टा स्वीकृति /अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय, स्थाना को होगा।

क्रम सं०	ब्लॉक का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	स्थाना	बडढा वाजिदपुर	308	0.501	
2		किसौला	267	1.429	
3		साहनपुर	524	1.088	
4		बिगरारु	164	2.213	
5		बुगरासी	30	0.556	
			32	0.190	
			34	0.202	
			36	0.266	
6		बरहाना	100म	2.529	
7	ऊचागांव	खन्दोई	186	1.581	
8		कपसाई महमूदपुर	442	0.670	
9		कनौना	158	0.607	
10		घुंघरावली	693	0.582	
11		नगला मदारीपुर	263/3	0.733	

क्रम सं०	ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6
12		काचरौट	260	2.605	
13		दौलतपुर कलां	684	0.544	
14	जहांगीराबाद	इमामाबाद	106	0.519	
15		भमरौली	61	0.657	
16		तहगौरा	26स	0.671	
17		जडौली	76	0.733	

तहसीलदार  
स्याना

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, महोदया बुलन्दशहर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. भूलेख अधिकारी महोदय बुलन्दशहर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपजिलाधिकारी महोदय स्याना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. तहसीलदार बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्द्राबाद, शिकारपुर, अनूपशहर, डिबाई को आवश्यक कार्यवाही एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. स्थानीय संवाददाता/सम्पादक हिन्दुस्तान, नव भारत टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी को निशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर को निशुल्क प्रकाशन की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. नायब तहसीलदार स्याना को नामित अधिकारी नियुक्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. नायब नाजिर स्याना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. राजस्व निरीक्षक ऊंचागांव व स्याना व बी०बी०नगर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
11. सम्बन्धित लेखपाल को कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु।
12. सम्बन्धित ग्रामों के प्रधानों को आवंटन की कार्यवाही कराने हेतु।
13. ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक बुलन्दशहर को कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु।

14/01/17  
तहसीलदार  
स्याना

14/01/17  
उपजिलाधिकारी  
स्याना